न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (**R.A.S.**)

प्रकरण संख्याः – 132/2022 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2022/343

रतनलाल पिता भुरालाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया हा0मु0 निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रार्थी

//बनाम//

1. भुरालाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. रत्तुबाई पुत्री भुरालाल पत्नी सुरेश जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. देउबाई पुत्री भुरालाल पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. प्रियंका पुत्री भुरालाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. चुन्नीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. बगदीराम पिता मांगीलाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. अमृतीबाई पुत्री मांगीलाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. कंचन पुत्री मांगीलाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. बंशीलाल पुत्र मथुरालाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया हा0मु0 बल्ली का खेडा उर्फ रावतपुरा तह0 छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0।
10. उपपंजियक महोदय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
11. भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार [illegible] – अधिवक्ता प्रार्थी

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने विपक्षीगणों के विरुद्ध उपरोक्त उनवान का एक वाद तहत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ठोस आधारों पर पेश किया है जो आगे चलकर प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा ऐसी पूरी संभावना हैं।

2. यह कि प्रार्थी व विपक्षीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा ऊंखलिया पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 122 की आराजी नम्बर 1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नम्बर 10 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्युबेल, आराजी नम्बर 11 रकबा 0.3800 हैक्टेयर लगानी 7 रुपये 22 पैसा, आराजी नम्बर 1632 रकबा 0.3400 हैक्टेयर लगानी 14 रुपये 28 पैसा, आराजी नम्बर 1633 रकबा 0.3200 हैक्टेयर लगानी 13 रुपये 44 पैसा, आराजी नम्बर 1634 रकबा 0.2600 हैक्टेयर लगानी 10 रुपये 92 पैसा, आराजी नम्बर 8 रकबा 0.3800 हैक्टेयर लगानी 7 रुपये 22 पैसा, आराजी नम्बर 9 रकबा 0.3800 हैक्टेयर लगानी 7 रुपये 22 पैसा, कुल किता–9 कुल रकबा 3.4900 हैक्टेयर कुल लगानी 87 रुपये 09 पैसा स्थित है। इसी प्रकार मौजा ऊंखलिया पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 120 की आराजी नम्बर 1629 रकबा 0.1000 हैक्टेयर लगानी रुपये 05 पैसा, आराजी नम्बर 1630 रकबा 0.1000 हैक्टेयर गे0मु0चाह कुल किता–2 कुल रकबा 0.20000 हैक्टेयर कुल लगानी 03 रुपये 05 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार मौजा ऊंखलिया पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 119 की आराजी नम्बर 818 रकबा 0.0900 हैक्टेयर लगानी 1 रुपये 08 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार मौजा फाचर सोलंकी पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 27 की आराजी नम्बर 585 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्युबवेल स्थित हैं। इसी प्रकार मौजा फाचर सोलंकी पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 571 रकबा 0. 0600 हैक्टेयर लगानी 72 पैसा, आराजी नम्बर 572 रकबा 0.0600 हैक्टेयर गे0मु0चाह कुल किता–2 कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल लगानी 72 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार मौजा फाचर सोलंकी पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 135 की आराजी नम्बर 573 रकबा 0.0700 हैक्टेयर लगानी 84 पैसा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

3. यह कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के मांगीलाल पिता नवला जी के जमाने से चली आ रही हैं तथा मांगीलालजी का देहान्त करीब 22 वर्ष पूर्व हो गया है, जिसके वैध उत्तराधिकारी भूरालाल प्रार्थी के पिता व चुन्नीलाल, बगदीराम पुत्र एवं चांदीबाई, अमृतीबाई व कन्चनबाई उनकी [illegible] है चांदीबाई देहान्त हो गया है जिनका वारिस उनका पुत्र बंशीलाल है। प्रार्थी के पिता भुरालालजी विपक्षी नम्बर 1 है भुरालालजी का पुत्र प्रार्थी रतनलाल है तथा रत्तुबाई, देउबाई व प्रियंका उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

पुत्रीयां है। प्रार्थी रतनलाल व रत्तुबाई, देउबाई की जाईन्दा माता लीलाबाई थी जिनका देहान्त हो गया है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से अधिकार होकर प्रार्थी का बर्थइन्ट्रेस्ट निहित है। इस प्रकार विपक्षी नम्बर 1 भुरालालजी के दर्ज हिस्से में से प्रार्थी का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा है। इसी अनुसार प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 1 से 4 अपने अपने 1/5–1/5 हक हिस्से पर संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है विपक्षी नम्बर 1 भुरालाल जो वृद्ध व्यक्ति होने से भूरालाल अपनी बाद वाली पत्नी के सिखावे में आकर तथा दिगर लोगो के सिखावे में आकर वादग्रस्त आराजियात में भुरालाल के नाम दर्ज आराजियात में से प्रार्थी का 1/5 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 1 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 2 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 3 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 4 का 1/5 हिस्सा घोषित करा बटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने हेतु विपक्षी संख्या 1 को कहा तो विपक्षी संख्या 1 टाल चाल कर रहा है और प्रार्थी के नाम घोषणा व बटवारा कराने से इंकार हो गया है तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से व कब्जे की पुश्तैनी पैतृक आराजियात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो जाने से विपक्षी नम्बर 1 बेगर प्रार्थी की जानकारी के उक्त भूमि बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थी को उनके संयुक्त हक हिस्से व कब्जे की भूमि से मेहरुम करने की नियत से वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने पर आमादा है व प्रार्थी एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षी को समझाने बुझाने पर भी विपक्षीगण किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है।

4. प्रार्थी का वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात पर संयुक्त रुप से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को उनकी पुश्तैनी पैतृक वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करने की सूरत में व खुर्द बुर्द करने की सूरत में अपूर्णितय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावें कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे न करावें तथा वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरित नहीं करें न करावें, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखे, ताईद में शपथ पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: Self Attested

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक

तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 10,11 प्रकरण में अपना जवाब नहीं देना चाहते है इसलिए विपक्षी संख्या 10 व 11 का जवाब बन्द किया गया।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावें कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे न करावें तथा वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरित नहीं करें न करावें, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखे,

7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी रतनलाल एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता भुरालाल के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से अधिकार होकर प्रार्थी बर्थइन्ट्रेट निहित है। अतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्ररकण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को विवादित आराजी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्योंकि उक्त विवादित आराजियात का बेचान होने के बाद वाद की बहुलता बढ़ने से नये पक्षकारों के आने से विवाद बढेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी नम्बर 1 के बनने वाले हिस्से को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन की प्रार्थी के पक्ष में है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के [illegible] में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में [illegible] रतनलाल एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 के पिता विपक्षी संख्या 1 भुरालाल के हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात में विपक्षी संख्या 1 भुरालाल के हिस्से में प्रार्थी रतनलाल एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी ने मूल वाद में अपने हक हिस्से की घोषणा एवं बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा चाही है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात में विपक्षी संख्या 1 भुरालाल के हक हिस्से की प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 के मध्य घोषणा एवं बटवारे से पहले विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बेचान किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य एवं गवाही के उपरान्त ही हो सकेगा, तब तक वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी रतनलाल के पिता विपक्षी संख्या 1 भुरालाल के हिस्से को मूल वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षी संख्या 1 भूरालाल को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी नम्बर 1 भुरालाल पिता मांगीलाल को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा ऊंखलिया पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 122 की आराजी नम्बर 1, 10, 11, 1632, 1633, 1634, 2, 8, 9 कुल किता–9 कुल रकबा 3.4900 हैक्टेयर, इसी प्रकार ग्राम ऊंखलिया की खाता संख्या 120 की आराजी नम्बर 1629, 1630 कुल किता–2 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 119 की आराजी नम्बर 818 रकबा 0.0900 हैक्टेयर एवं मौजा फाचर सोलंकी पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 27 की आराजी नम्बर 585 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, इसी प्रकार मौजा फाचर सोलंकी की खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 571, 572 कुल किता–2 कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर, इसी प्रकार मौजा फाचर सोलंकी की खाता संख्या 135 की आराजी नम्बर 573 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 भुरालाल पिता मांगीलाल (विपक्षी संख्या 1 भुरालाल स्वयं) के दर्ज हक हिस्से की मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested